भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-101

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक निकाय का कार्यान्वयन

†101. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत एक एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, इसके कार्यान्वयन के लिए, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) नए नियामक ढांचे के अंतर्गत शैक्षणिक स्वायत्तता और संस्थागत विविधता को संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ये उपाय महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा संस्थानों, जिनमें सांगली जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों के संस्थान भी शामिल हैं, पर प्रभाव डालेंगे;

(ङ) क्या नियामक निकाय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासन की मौजूदा अक्षमताओं को दूर करेगा;

(च) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में नए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान निधि और मान्यता के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुकर बनाने की विस्तृत योजना क्या है; और

(छ) विशेषकर सांगली जैसे उभरते शैक्षिक केंद्रों में उच्च शिक्षा हेतु पारदर्शी और सुसंगत तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(सुकान्त मजूमदार .डॉ)

(क) से (छ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और नए विचारों को प्रोत्साहित करते हुए लेखा परीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का लेकिन प्रभावी' नियामक ढांचे की परिकल्पना करती है।

एनईपी, को स्वतंत्र (एचईसीआई) में इसके अलावा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग 2020 व्यवस्थाओं के साथ एक प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जो विनियमन, प्रत्यायन, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानक निर्धारण के अलगअलग कार्य करेंगे।-

एनईपी के उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2020, मंत्रालय एचईसीआई विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।

*****